		6. थानाधिकारी पुलिस थाना बेगू जिला चितौडगढ।
5	हालात ईस्तगासा	

महोदयजी, चितौडगढ राज

वाक्यात मामला संक्षेप में इसी प्रकार निवेदन है कि प्रार्थी कि ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील बेगू की आराजी संख्या 660 मेरे खातेदारी की हैं जिसकी मैने पत्थर गढी भी करवाई हैं एवं अपनी भूमि की पूर्वी सीमा पर पत्थर कोट करवाने के लिए मैने कल पत्थर डलवाये थे । आज सुबह शिवलाल पिता हजारी गुजर एवं कालू पिता हजारी गुजर निवासी झुपडियां गाँव में आये एवं आ कर कहा कि पत्थर कोट मत कर देना वहाँ हम कब्जा करेंगे। मेरे द्वारा जब कहा गया कि मेरी जमीन पर ही मुझे कोट करने से क्यो मना कर रहे हो तो लडाई झगडा करने पर उतारू हुए एवं गाली गलौच करने लग गये व जाते जाते कह गये कि मौके पर मत आ जाना वरना खुन खराबा हौ जायेगा जो भी मौके पर आयेगा जिन्दा वापिस नही जायेगा। ये लोग झगडालु किस्म के होकर कभी भी मेरे या मेरे परिवार के साथ संगीन वारदात कर सकते हैं जिससे इन्हे गिरफ्तार किया जाकर भारी से भारी जमानत मुचलको से पाबंद किया जाना आवश्यक है ।अतः प्रार्थना है कि शिवलाल एवं कालु गुर्जर को गिरफ्तार किया जाकर भारी से भारी जमानत मुचलको से पाबंद फरमा मेरी आम शांति बहाल करने की कृपा करावे ।वगैरा रिपोर्ट प्राप्त कर जांच शुरू की गई।

दौराने जांच परिवाद हाजा श्री अंकित कुमार नं432 के जिम्मे होने से परिवादी हजारी पिता भंवरलाल धाकड निवासी गोपालपुरा [illegible] श्री शान्तिलाल पिता मोहन उम्र 40 साल जाति धाकड निवासी गोपालपुरा बयान लिये जाकर अडोस पडोस मे मालुमात कर जांच की गई तो जांच से पाया गया कि हजारी की एक अराजी जमीन गांव गोपालपुरा पटवार हलका दौलतपुरा मे स्थित है। प्रार्थी हजारी द्वारा कोट करवा ने पर पास के जमीन वाले शिवलाल पिता हजारी गुर्जर व कालू पिता हजारी आये व कालू का लडका सचिन इस

बात को लेकर आये दिन लडाई झगडा व गाली गलौच करते है। और कहते है कि यह जमीन हमारी है इस बात को लेकर आये दिन दोनो पक्षो गाली गलोच होता रहता है दिनांक 05.06.2024 को भी दोनो पक्षो के बीच इस जमीन को लेकर दोनो पक्षो ने एक दुसरे के साथ गाली गलोच कर एक दुसरे को जान से मारने की धमकीया दी है इस जमीन की बात को लेकर दोनो पक्ष कभी भी एक दुसरे के साथ कोई अनहोनी घटना कारित कर सकते है अतः गैरसायलान **प्रथम पक्ष** श्री हजारी पिता भंवराल धाकड निवासी गोपालपुरा थाना बेगूं जिला चितोडगढ राज. व गैरसायलान **दितिय पक्ष** 1. श्री शिवलाल पिता हजारी गुर्जर 2.श्री कालू पिता हजारी गुर्जर नि 3.श्री सचिन पिता कालू गुर्जर निवासियान झुपडिया पुलिस थाना बेगूं जिला चितौडगढ राज को सर्कल हाजा मे आम शांति व्यवस्था कायम रखने हेतू पाबन्द कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः उक्त हर दोनो पक्षो के गैरसायल **प्रथम पक्ष** श्री हजारी पिता भंवराल धाकड निवासी गोपालपुरा थाना बेगूं जिला चितोडगढ राज. व गैरसायलान **दितिय पक्ष** 1. श्री शिवलाल पिता हजारी गुर्जर 2.श्री कालू पिता हजारी गुर्जर निवासी 3.श्री सचिन पिता कालू गुर्जर निवासियान झुपडिया पुलिस थाना बेगूं जिला चितौडगढ राज को सर्कल हाजा मे आम शांति व्यवस्था कायम रखने हेतू पाबन्द कराया जाना अति आवश्यक है। के विरूध जुर्म धारा 107,116 (3) सीआरपीसी का ईस्तगासा मुर्तिब कर श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट की सेवामें पेश कर निवेदन है कि उक्त हर दोनो पक्षो के गैरसायलानो को जरिये नोटिस तलब करा भारी से भारी तादात के जमानत मुचलको पर पाबन्द कराना फरमावे ताकि सर्कल आप मे शांति बनी रहे।